(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 25/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून , 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "टोलीन डि-आइसोसायनेट(टीडीआई)" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया आर पी (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/36/2016-डीजीएडी, दिनांक 28 मार्च, 2017 के जरिए अपने अनंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(1) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(2) घरलू उद्योग को विषयत देशों से विषयगत आयात के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(3) यह नुकसान विषयत देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप आयात के कारण हुआ है ।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने

की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गगम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	चीन जंनवादी गणराज्य	चीन जंनवादी गणराज्य	कोई	कोई	0.26	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	चीन जनवादी गणराज्य	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.26	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	0.26	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.
4	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	जापान	जापान	कोई	कोई	0.14	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
5	29291020	टोलीन डि	जापान	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोई	केाई	0.14	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
6	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	जापान	कोई	कोई	0.14	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

7	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	जानवा फाइन कैमिकल कार्पोरशन	क) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं0 लि0 ख) एवर लाईट कोरिया कं0 लि0 ग) आई एमएस कार्पोरेशन घ) टीजे एएलमुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी,	0.17	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
8	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	बीएएसएस कं0 लि0	बीएएसएस कं0 लि0	0.31	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
9.	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उपरोक्त क्रमांक 7 और 8 में उल्लिखित से इतर कोई समूह		0.40	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
10.	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई	0.40	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
11.	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	0.40	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962

(1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा.सं.354/82/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार